संख्या-96/2026/1572/004-5-9002-001-5-2024

प्रेषक,

रवि रंजन,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
परिवार कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-9 लखनऊ:दिनांक 15 अक्टूबर, 2026

विषय:- वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-35 चिकित्सा विभाग(परिवार कल्याण) के अन्तर्गत आयुष्मान भारत-नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन(परिवर्तित नाम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना) के संचालन हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष राज्यांश मद में अग्रिम धनराशि अवमुक्त किये जाने हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-प0क0/4-बजट/आयु0भा0(राज्यांश)/2026-27/1606, दिनांक 07.09.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में आयुष्मान भारत-नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन (परिवर्तित नाम आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना) के सफल क्रियान्वयन हेतु अनुदान संख्या-35 चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत सूचीबद्ध चिकित्सालयों के लम्बित/प्राप्त होने वाले चिकित्सा दावों के भुगतान हेतु प्रशासनिक मदों में व्ययों की आवश्यकता के दृष्टिगत लेखाशीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-110 अन्य बीमा योजनायें-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं-01-आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन (के.60/रा.40-के.+रा.) मानक मद 42 अन्य व्यय" के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 200000.00 लाख (रूपये बीस अरब मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 92800.00 लाख (रूपये नौ अरब अठ्ठाईस करोड मात्र)को अनुदान संख्या-35 के राजस्व(राज्यांश) लेखान्तर्गत प्राविधानित धनराशि में से वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-17/2017/ए-1-1027/दस-2017-10(55)/2017, दिनांक 15 नवम्बर, 2017 तथा उसके साथ संलग्न शासनादेश दिनांक-25-10-1983, 10-06-2011 तथा 18-09-2017 में निहित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन एवं निम्नांकित शर्तों/प्रतिबन्धों के साथ अग्रिम के रूप में अवमुक्त करने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

(1) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है, तो उसके लिए भी सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार होगा।

(2) महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 द्वारा पूर्व में दी गयी समस्त अग्रिम धनराशि का समायोजन दिनांक 31 मार्च, 2027 तक अवश्य कर लिया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि का समायोजन कराते हुए महालेखाकार के पुस्तांकित ऑकड़ों में भी समायोजन सुनिश्चित कराते हुए पत्रावली पर वित्त विभाग को अवगत करायेंगे।

(3) धनराशि के व्यय में सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा उसका व्यय उसी प्रयोजन में किया जायेगा, जिस हेतु इसका प्राविधान किया गया है।

(4) धनराशि निर्गत किये जाने के दिनांक से उसके वास्तविक उपयोग किये जाने की तिथि तक अर्जित ब्याज को राजकोष में जमा किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(5) अगर प्रश्नगत प्रकरण में कोई वित्तीय अनियमितता होती है, तो उसके लिए महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 स्वंय उत्तरदायी होंगे।

(6) प्रश्नगत धनराशि का उपयोग योजना में दिये गये प्रयोजना पर किया जाएगा। उक्त के साथ ही प्रश्नगत योजना की गाइडलाइन/दिशा-निर्देशों में दी गयी शर्तों/प्रतिबंधों का पूर्ण अनुपालन किया जाएगा। किन्ही अन्य कार्य-मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्यावर्तन अनुमन्य नहीं है।

(7) महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत प्रकरण में भारत सरकार से वित्तीय वर्ष 2026-27 में जितनी धनराशि प्राप्त होनी है, वह प्राप्त कर ली जाएगी।

(8) महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 28 मार्च, 2026 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपभोग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में दिनांक 31 मार्च, 2027 तक अवश्य कर लिया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 9,28,00,00,000 (रुपये नौ अरब अट्ठाईस करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 035 लेखा शीर्षक 2235601100101 आयुष्मान भारत-नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन (के.60/रा.40-रा.) मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-ई0-3-137/दस-2026-27, दिनांक 12 अक्टूबर, 2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

रवि रंजन
विशेष सचिव।

संख्या-96/2026/1572(1)/004-5-9002-001-5-2024, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकर (प्रथम), उत्तर प्रदेश, (इलाहाबाद) प्रयागराज।
2- महालेखाकर (द्वितीय), उत्तर प्रदेश, (इलाहाबाद) प्रयागराज ।
3- महालेखाकर (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, (इलाहाबाद) प्रयागराज।
4- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना(साचीज)।
5- मुख्य कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, साइबर ट्रेजरी, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, परिवार कल्याण/एन0एच0एम0, उ0प्र0, लखनऊ।
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

आनन्द प्रकाश
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in